

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (एन.सी.आर.), गुरुग्राम
3. सभी उप निर्देशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, पंचकूला, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औ0स्वा0-कम-सर्टीफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
10. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।


क्रमांक: स्था0/04/2021/2214-2364 दिनांक: 28/01/2021

विषय:- एस0ई0टी0सी0 टैस्ट उर्तीण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बंध में जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिनांक 7.11.2013 के बाद नियुक्त लिपिको/आशुलिपिकों पर SETC की शर्त लागू की गई है, जिस अनुसार कर्मचारी SETC पास करने उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र बनता है। लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों से लिपिको/आशुलिपिकों द्वारा SETC पास करने उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने हेतु पत्र प्राप्त होते रहते हैं, जबकि वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधित डी0डी0ओ0 के स्तर पर दी जानी बनती है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि बारे कार्यवाही अपने स्तर पर करने उपरांत केवल कर्मचारी द्वारा SETC की परीक्षा उर्तीण करने की सूचना मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक (स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।